आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
12.10.15	**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा** **अपराध नियंत्रण वाद सं0 61/2015** **सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण** **बनाम** **आलोक कुमार सिंह, थाना-छपरा मुफसिल** आदेश पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5454/चुनाव/गो0, दिनांक 03.10.2015 के द्वारा सक्रिय असामाजिक तत्व अलोक कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह, पिता- राजु सिंह, सा0-दहियांवा , थाना-छपरा मुफसिल, जिला-सारण के विरूद्व बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सदर,छपरा के ज्ञापांक 3205, दिनांक 29.09.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:- 1. मुफसिल थाना कांड संख्या-183/12, दिनांक 09.08.12 धारा-25(1-बी)/ए/26/35 शस्त्र अधिनियम 2. भगवान बाजार थाना कांड संख्या 194/09, दिनांक 27.07.09 धारा 392 भा0द0वि। 3. भगवान बाजार थाना कांड संख्या 179/09, दिनांक 16.07.09 धारा 392 भा0द0वि। इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरूद्व इस संबंध में सनहा संख्या 309/15 दर्ज किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 768, दिनांक 06.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 12.10.15 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जिस पर रेखा देवी के द्वारा अंकित किया गया है कि विपक्षी दो वर्षो से बाहर रहते है। सुनवाई की तिथि 12.10.2015 को विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि नोटिस पर विपक्षी के बाहर रहने की सूचना से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा तथ्य को छिपाने के लिए किसी के द्वारा ऐसी सूचना अंकित करवाई गई है। विपक्षी के आचरण का स्पष्ट अर्थ है कि विपक्षी अलोक कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह, पिता- राजु सिंह, सा0-दहियांवा, थाना-छपरा मुफसिल, जिला-सारण एक आदतन अपराधी है एवं कानून के द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुपालन में विश्वास नहीं करता है। विपक्षी के विरूद्व आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव के संचालन के लिए धारा 3 के	

अंतर्गत कार्रवाई आवश्यक है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि **इस आदेश की तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक** विपक्षी **को जिला बदर किया जाता है। विपक्षी को निर्देश है कि वे आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर जिला विधि शाखा, सारण, छपरा में पासपोर्ट साईज का चार स्वअभिप्रमाणित फोटो एवं इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि जिला बदर की अवधि के दौरान वे किस जिला के किस थाना के अंतर्गत निवास करेंगे, ताकि संबंधित जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से विपक्षी के निकटवर्ती थाना में प्रतिदिन दो बार 9 बजे प्रातः एवं सायं 5.00 बजे अपनी हाजिरी अंकित करने संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके।**

विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित **संलग्न प्रपत्र में** रुपये 20,000(बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की दो स्वतंत्र प्रतिभूतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरूद्व विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम छपरा मुफसिल थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगें। थानाध्यक्ष मुसफिल को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक......881....../न्या0,दिनांक.....12/10/15.........

प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक,सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीध्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः-थानाध्यक्ष,छपरा मुफसिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अलोक कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह, पिता- राजु सिंह, सा0-दहियांवा, थाना-छपरा मुफसिल, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

12/10/15